(218)

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास)
एवं विभागाध्यक्ष
Office of Engineer-in-Chief (Dev.) &
Head of Department
उ0प्र0 लो0नि0वि0, लखनऊ – 226001
UP PWD, Lucknow - 226001

96, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ – 2260
96, Mahatma Gandhi Marg, Luckno
Office : 0522-2237315, 22354
Fax No. : 0522-22367
e-mail : pwdeinc@gmail.co

पत्रांक 4239 (ब्रि)/ e24 ड0 pcwc/18 दिनांक 25/7/18

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश में विभिन्न राज्यों से इण्ट्री करने वाले मार्गों पर गेट लगाए जाने हेतु उनकी डिजाइन हेतु प्राप्त निविदा को निविदा प्रपत्र के क्लाज 6.7 के अनुसार एजेन्सी द्वारा विभाग की सक्षम समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जाना है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित अधिकारियों की समिति गठित की जाती है :–

1. मुख्य अभियन्ता (मु0–1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. मुख्य वास्तुविद, लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता (नियोजन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, लखनऊ।

ह0/

(वी0 के0 सिंह)
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य अभियन्ता (मु0–1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. मुख्य वास्तुविद, लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता (नियोजन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, लखनऊ।

25/7/18
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (मध्य-क्षेत्र) 219

लो0नि0वि0, लखनऊ

पत्रांक : 4227 (ड़ी) सीजेडकाम / 802सीजेड-लखनऊ / 18 दिनांक- 24/7 -2018

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास एवं विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

विषय : उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों से इण्ट्री करने वाले मार्गो पर गेट लगाये जाने हेतु डिजाईन की निविदा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ ने अपने पत्रांक-5067 / 523(1)सी-एल0वृत्त / 2018 दिनांक-21-07-18 द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न राज्यों से इण्ट्री करने वाले मार्गो पर गेट लगाये जाने हेतु उनकी डिजाईन की निविदा दो बार ई-टेण्डरिंग के माध्यम से प्राप्त की गई, जिसमें प्रथम बार दिनांक-05-06-2018 को एकल निविदा प्राप्त हुई थी। एकल निविदा प्रान्त होने के कारण निविदा पुनः दिनांक-19-06-2018 को प्राप्त की गई, जिसमें एकल निविदा प्राप्त हुई है। द्वितीय बार एकल निविदा प्राप्त होने पर सी0वी0सी0 की गाइडलाइन के क्रम में एकल निविदा खोली गयी है। निविदा प्रपत्र के क्लाल 6.7 के अनुसार एजेन्सी द्वारा विभाग की सक्षम समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया जाना है।

4095
25/7/18

अतः अनुरोध है कि कृपया समिति का गठन निम्नानुसार करने की कृपा करें, जिससें सक्षम समिति द्वारा डिजाईन इत्यादि का अन्तिमीकरण किया जा सकें।

1- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लो0नि0वि0, लखनऊ।
2- मुख्य वास्तुविद, लो0नि0वि0, लखनऊ।
3- अधीक्षण अभियन्ता (नियोजन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
4- अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।
5- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0, लखनऊ।

(पंकज बकाया)
मुख्य अभियन्ता (मध्य-क्षेत्र)
लो0नि0वि0, लखनऊ

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ को उनके पत्रांक-5067 / 523 (1)सी-एल0वृत्त / 2018 दिनांक-21-07-18 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता (मध्य-क्षेत्र)
लो0नि0वि0, लखनऊ

(220)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
96 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

पत्रांक :–224 कैम्प/मु0अभि0(मु0–1)/18 दिनांक :– 25/07/2018

कार्यालय–आदेश

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सड़क कार्यों में अनुबन्ध प्रबन्धन पर निष्पादन पर लेखा परीक्षा के प्रस्तर 8.10 में यह आपत्ति की गयी है कि खण्डों द्वारा अनुबन्धों को हस्ताक्षर करने एवं सील करने से पूर्व वांछित अभिलेखों को अनुबन्ध में शामिल नहीं किया गया था।

वर्तमान में विभाग में मॉडल बिड डाक्यूमेंन्ट टी–1, टी–2 एवं एसबीडी प्रचलित है। मॉडल बिड डाक्यूमेंट टी–1 के सेक्शन–2 के प्रस्तर 7.1 एवं मॉडल बिड डाक्यूमेंट टी–2 के सेक्शन–2 के प्रस्तर 8.1 में उल्लिखित अभिलेखों का नियमानुसार अनुबन्ध में सम्मिलित किया जाए। इसके अतिरिक्त निविदादाता से वांछित एवं प्राप्त अन्य दस्तावेजों को भी सुरक्षित रूप से अनुबन्ध पत्रावली के साथ रखा जाए।

ह0/-
(वी0के0 सिंह)
प्रमुख अभियन्ता(विकास)
विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क)/(परिकल्प/नियोजन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0।
5. अधीक्षण अभियन्ता(परियोजना/नियोजन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. समस्त क्षेत्रीय अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0। (ईमेल द्वारा)
7. समस्त क्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0। (ईमेल द्वारा)

25/7/18

प्रमुख अभियन्ता(विकास)
विभागाध्यक्ष
लो0नि0वि0, लखनऊ

(221)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

96 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

पत्रांक :–225 कैम्प / मु0अभि0(मु0–1) / 18 दिनांक :– 25 / 07 / 2018

कार्यालय–आदेश

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सड़क कार्यों में अनुबन्ध प्रबन्धन पर निष्पादन पर लेखा परीक्षा के प्रस्तर 8.8 में यह आपत्ति उठाई गयी है कि प्रमुख अभियन्ता के परिपत्र 5585एमटी / 60एमटी / 2006, दिनांक 19.07.2006 में यह निर्देश दिए गए हैं कि कार्यों के स्वीकृत आगणन में **रोड साईनेज के कुल कार्य की स्वीकृत लागत रू0 2.00 लाख अथवा उससे अधिक होने की स्थिति में रोड साईनेज कार्य केवल रोड साईनेज कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदारों से ही कराया जायेगा।**

आदेश दिए जाते हैं कि उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

ह0/–
(वी0के0 सिंह)
प्रमुख अभियन्ता(विकास)
विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) / (परिकल्प / नियोजन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0।
5. अधीक्षण अभियन्ता(परियोजना / नियोजन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. समस्त क्षेत्रीय अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0। (ईमेल द्वारा)
7. समस्त क्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0। (ईमेल द्वारा)

25/7/18

प्रमुख अभियन्ता(विकास)
विभागाध्यक्ष
लो0नि0वि0, लखनऊ

222

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
96 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

पत्रांक :– 234कैम्प / मु0अभि0(मु0–1) / 18 दिनांक :– 31 / 07 / 2018

कार्यालय–आदेश

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सड़क कार्यों में अनुबन्घ प्रबन्धन पर निष्पादन पर लेखा परीक्षा के प्रस्तर 8.8 में यह आपत्ति उठाई गयी है कि प्रमुख अभियन्ता के परिपत्र 5585एमटी / 60एमटी / 2006, दिनांक 19.07.2006 में साईनेज कार्यों हेतु दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

उक्त के कम में इस कार्यालय द्वारा निर्गत 225कैम्प / मु0अभि0(मु0–1) / 18, दिनांक 25.07.2018 के संबंध में कतिपय क्षेत्रों द्वारा कुछ संशय व्यक्त किया गया है। अतः आदेश दिए जाते हैं कि प्रमुख अभियन्ता के परिपत्र सं0 5585एमटी / 60एमटी / 2006, दिनांक 19.07.2006 में दिए गए निर्देश, **"स्वीकृत आगणन में रोड साईनेज के कुल कार्य की स्वीकृत लागत रू0 2.00 लाख अथवा उससे अधिक होने की स्थति में रोड साईनेज कार्य केवल रोड साईनेज कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदारों से ही कराया जायेगा।"** का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

ह0/-
(वी0के0 सिंह)
प्रमुख अभियन्ता(विकास)
विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) / (परिकल्प / नियोजन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0।
5. अधीक्षण अभियन्ता(परियोजना / नियोजन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. समस्त क्षेत्रीय अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0। (ईमेल द्वारा)
7. समस्त क्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0। (ईमेल द्वारा)

31/7/18

प्रमुख अभियन्ता(विकास)
विभागाध्यक्ष
लो0नि0वि0, लखनऊ

१५०

(223)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
96 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

पत्रांक :–223 कैम्प/मु0अभि0(मु0–1)/18 दिनांक :– 25/07/2018

कार्यालय–आदेश

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सड़क कार्यों में अनुबन्ध प्रबन्धन पर निष्पादन लेखा परीक्षा के प्रस्तर 8.4 में यह अनुशंसा की गयी है कि "शासन को एक पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण तकरीके से काम पूरा करने हेतु समय सीमा निर्धारण के लिए अच्छी तरह से परिभाषित मानदण्ड प्रावधानित करना चाहिए।"

वर्तमान में रू0 5.00 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों हेतु भारत सरकार में प्रचलित एस.बी. डी. तथा रू0 5.00 करोड़ से रू0 40.00 लाख तक के कार्यों हेतु टी–2 एवं रू0 40 लाख से कम कार्यों हेतु टी–1 बिड डाक्यूमेंट प्रचलित हैं।

सम्यक विचारोपरान्त यह आदेश दिए जाते हैं कि रू0 1.00 करोड़ तक के कार्यों हेतु समय सीमा का निर्धारण संबंधित अधीक्षण अभियन्ता एवं रू0 1.00 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों हेतु संबंधित मुख्य अभियन्ता द्वारा कार्यस्थल की स्थिति, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता/वित्त पोषण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार शासकीय हितों को वरीयता देते हुए नियत की जायेगी।

यह आदेश तत्काल से प्रभावी होंगे।

Sd/-
(वी0के0 सिंह)
प्रमुख अभियन्ता(विकास)
विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क)/(परिकल्प/नियोजन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0।
5. अधीक्षण अभियन्ता(परियोजना/नियोजन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. समस्त क्षेत्रीय अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0। (ईमेल द्वारा)
7. समस्त क्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0। (ईमेल द्वारा)

25/7/18

प्रमुख अभियन्ता(विकास)
विभागाध्यक्ष
लो0नि0वि0, लखनऊ